जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)–यू40109आरजे2000एसजीसी016483
पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाउस,जोधपुर–342003
फोन न. :0291–2742227 फैक्स न. : 0291–5106366
ईमेल :–seracomml@gmail.com वेबसाईट :–www.jdvvnl.com

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 1763 दि. 26.03.18

आदेश

विषयः– स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना।

आदेश क्रमांक 1677 दिनांक 13.03.2018 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–857) द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना" लागू करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके विरूद्व स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग करने अथवा घरेलू श्रेणी से अघरेलू श्रेणी में उपभोग करने के सतर्कता जांच प्रतिवेदन लम्बित हैं ऐसे लम्बित सतर्कता जांच के प्रकरणों में भी 30.06.2018 तक कोई जुर्माना राशि नही ली जाकर स्वैच्छिक भार वृद्वि/श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अनुरुप सामान्य दरों पर ही निस्तारण किये जाने का प्रावधान हैं।

उक्त आदेश के क्रम में निम्न स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैः–

1. ऐसे मामले जिनमें उपभोक्ता ने सम्बन्धित अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा हैं एवं विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवा रखी हैं, ऐसे अधिक भार वाले प्रकरण स्वीकृत भार से अधिक भार का स्थायी शुल्क लेकर एवं घरेलू से अघरेलू श्रेणी परिवर्तन के प्रकरण अघरेलू श्रेणी की सामान्य दर से राशि का पुनर्निर्धारण कर निस्तारण कर दिये जायेंगे। यदि उपभोक्ता की निर्धारण के पेटे राशि, पुनर्निर्धारण के अनुसार अधिक राशि जमा हैं तो शेष राशि आगामी बिलों में समायोजित कर दी जावेगी।
2. ऐसे मामले जिनमें उपभोक्ता ने न्यायालय में परिवाद दायर कर रखा हैं एवं यदि उपभोक्ता अपना परिवाद न्यायालय से वापिस ले लेता हैं तो ऐसे मामलों का भी उपरोक्त प्रावधानों के तहत् निस्तारण किया जा सकेगा।
3. ऐसे मामले जिसमें स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग करने अथवा घरेलू श्रेणी से अघरेलू श्रेणी में उपभोग करने से सम्बन्धित सतर्कता जांच प्रतिवेदन (वीसीआर) का निस्तारण हो चुका हैं ऐसे मामलों में पुनर्विचार नही किया जावेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

26.3.18
(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर